

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर
पत्रांक ५२१३ / २-६, दिनांक, गोरखपुर, मार्च २३ / २०१९

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय:- जनपद-गोरखपुर में सोनौली-गोरखपुर मार्ग (रा०मा० रा०-२९ई०) के किमी० ८१.४२० (जंगल कौड़िया) से किमी० ९८.९४५ (मोहददीपुर चौराहा) तक भाग को ४ लेन में चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत किमी० ८५.५०० (मानीराम रेलवे क्रॉसिंग) पर प्रस्तावित आर०ओ०बी० के निर्माण में प्रभावित ०.१९३८४ हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, /नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक १६७३ / ११-सी-FP/UP/Road/३६७८८/२०१८ लखनऊ, दिनांक २२-०२-२०१९ तथा कार्य अधीक्षक, अ०वि०नि०ई०(रा०मा०) लो०नि०वि० गोरखपुर का पत्रांक २७९ / १सी, दिनांक १४-०३-२०१९

महोदय,

विषयांकित प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक, /नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा १८ बिन्दुओं पर आपत्ति की गयी है। कार्य अधीक्षक, अ०वि०नि०ई०(रा०मा०) लो०नि०वि० गोरखपुर ने अपने संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव में की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् किया गया है।

१. प्रस्ताव में वन भूमि का १:५०००० माप का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित फुल रंगीन टोपो सीट संलग्न कर आनलाइन भाग-१ में अपलोड कर दिया गया है।
२. संयुक्त निरीक्षण में सही क्षेत्रफल अंकित करते हुए संशोधित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाइन भाग-२ में अपलोड कर दिया गया है।
३. प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित लैण्ड शड्यूल प्रस्ताव में संलग्न कर लिया गया है।
४. प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों का अनुरक्षण के प्राक्कलन में क्षेत्रफल सही करते हुए प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है तथा प्राक्कलन आनलाइन भाग-२ के क्रमांक-१३ (ii) में अपलोड कर दिया गया है।
५. आनलाइन भाग-२ के क्रमांक-१३ (iii) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वयनित स्थल का सत्यापित Geo Refrenced Digital Map में अपलोड कर दिया गया है।

6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप की फुल टोपोशीट संलग्न कर दिया गया है तथा प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित फुल टोपोशीट आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 (iv) में अपलोड कर दिया गया है।
7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का संशोधित उपयुक्ताता प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए अपलोड कर दिया गया है।
8. एन0पी0बी0 की धनराशि में बढ़ोत्तरी के उपरान्त बढ़ी धनराशि के जमा किये जाने की वयनबद्धता में सही क्षेत्रफल अंकित करते हुए संशोधित वयनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए अपलोड कर दिया गया है।
9. ईको क्लास की गणना के अनुसार एन0पी0बी0 की गणना में सही क्षेत्रफल अंकित करते हुए संशोधित एन0पी0बी0 गणना संलग्न कर आनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
10. वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र सम्मिलित न होने सम्बन्धित प्रमाण में प्रस्तावित वन भूमि का सही क्षेत्रफल अंकित करते हुए संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
11. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण पत्र में सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित प्रमाण पत्र में पत्रांक, दिनांक व जिलाधिकारी की मोहर अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
12. हार्ड कापी भाग-2 क्रमांक 7(छ) में कोई वृक्ष बाधक नहीं है, अंकित कर दिया गया है।
13. आनलाइन भाग-2 में क्रमांक 13(i) में चयनित स्थल का सही क्षेत्रफल अंकित करते हुए आनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
14. आनलाइन भाग-1 व हार्ड कापी भाग-1 तथा पृष्ठ संख्या 52 पर रोजगार विवरण एक समान अंकित कर दिया गया है।
15. प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों पर प्रस्तावित वन भूमि का सही क्षेत्रफल 0.19384 हे0 अंकित कर दिया गया है।
16. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 55 पर संलग्न प्रमाण पत्र में संरक्षित वन भूमि पर रेलवे विभाग का स्वामित्व अंकित कर स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
17. आनलाइन भाग-2 के क्रमांक 13 (i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0 फाइल अपलोड कर दिया गया है।

18. प्रस्ताव के आनलाइन में पूर्व में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्रों के स्थान पर संशोधित प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।

अतः संशोधित प्रस्ताव की चार प्रतियां संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित कराने की कृपा करें।

भवदीय

23/07/19

(अखिलेश पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या

अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि: कार्य अधीक्षक, अ०वि०नि०ई०(रा०गा०) लो०नि०वि० गोरखपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अखिलेश पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर